उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-6
संख्या-199**/2026/**I**/1319941/2026/23-6/10/2026**
लखनऊ : दिनांक 06 **मई**, **2026**

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत 01 लघु सेतु परियोजना के चैनेज में आंशिक संशोधन करने विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-I/550594/2026, दिनांक 16.04.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-145/2026/I/ 1280196/ 2026/ 23-6099/92/ 2026, दिनांक 25.03.2026 के क्रमांक-15 पर अंकित कार्य '' जनपद उन्नाव में सण्डीला चकलवंशी बिठूर चौबेपुर मार्ग के कि0मी0-60 के चैनेज 59.980 पर बाक्स कल्वर्ट मी0 स्पान (3/33/0) पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य'' में आंशिक संशोधन करते हुए 'चैनेज 59.980' के स्थान पर 'चैनेज 59.83' किया जाता है।

2- अतएव शासनादेश संख्या-145/2026/I/1280196/2026/23-6099/92/2026, दिनांक 25.03.2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(सुबास राम)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(10) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(11) नोडल अधिकारी(आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम),लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
(12) गार्ड फाइल।

(सुबास राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in